निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 24/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बजरंग लाल सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति माली निवासी ग्राम माचडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर)

2 शिल्पा विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ जयपुर रजिस्टर्ड नम्बर 2541, एल जरिये सचिव पता गोमती भवन, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 92/2021 ब उनवानी बजरंग लाल बनाम कमलेश सैनी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री आर पी सिंह शर्मा एवं बृजेश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 92/2021 ब उनवानी बजरंग लाल बनाम कमलेश सैनी व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्री आर॰पी॰सिंह शर्मा एवं बृजेश पारीक ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.09.2021 को पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त प्रकरण में एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰ का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.01.2022 को पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का दिनांक 17.01.2022 को पेश किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने स्थगन के ही अप्रार्थी संख्या 2 को कॉलोनी विकसित करने व कॉलोनी में सुविधा क्षेत्र के विकास करने की अनुमति प्रदान कर दी । जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त दिनांक 17.01.2022 को कोविड–19 के कारण स्थानीय बार ऐसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित किया जाना अप्रार्थी संख्या 1 को बताया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के निवेदन पर कोई गौर नहीं किया गया तथा उक्त प्रकरण मे छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है। दिनांक 22.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि हमारी एस.डी.एम. साहब से बात हो चुकी है तथा मैने पहले भी मेरे धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में आदेश करवा लिया है । अब मै शीघ्र ही आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में तुम्हारा दावा खारिज करवा दूंगा। जिस पर प्रार्थी अपने मुकद्दमें की जानकारी करने व अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 24.01.2022 को न्यायालय में गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि अभी कोविड के कारण बार ऐसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है तो आप मेरे उक्त प्रकरण मे जनरल तारीख पेशी नियत नहीं कर अप्रार्थी संख्या 2 को कालोनी विकसित करने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकते, तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 2 मेरा परिचित है तथा आप या तो अपना दावा विड्रॉ कर लो नहीं तो मैं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में आपका दावा शीघ्र ही खारिज कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देखकर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो अपने खातेदारी अधिकारों को लिये माननीय न्यायालय में लड़ रहा है तथा प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थी अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के दावे को अस्वीकार करा देंगे, तो प्रार्थी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकद्दमें का अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा दावा तकासमा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में दिनांक 24.09.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई । प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और यह मिथ्या कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहे है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली व पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने पर यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर रखा है, इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे प्रार्थी की स्थगन आदेश को जारी रखने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/03/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर